भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1404

दिनांक 11 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विभिन्न जनसंख्या समूहों में बाल बौनेपन में असमानताएँ

1404 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अलग-अलग जाति और सामाजिक-आर्थिक समूहों के आधार पर बाल बौनेपन की वर्तमान दर कितनी है तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से तुलना कैसे की जाती है;

(ख) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) सहित ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों में बौनेपन की उच्च दरों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश के भीतर बाल पोषण परिणामों में असमानताओं को कम करने के लिए लक्षित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(घ) इन कमजोर समूहों में दीर्घकालिक कुपोषण के मूल कारणों का समाधान करने के लिए किसी भी चल रही या प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता निम्नानुसार है:

संकेतक	एनएफ़एचएस **5** **(2019-21)**
5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	35.5
अनुसूचित जाति के 5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	39.2
अनुसूचित जनजाति के 5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	40.9
अन्य पिछड़े वर्ग के 5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	34.8
सबसे कम आय समूह वाले 5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	46.1
सबसे अधिक आय समूह वाले 5 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत जो बौने हैं (आयु के अनुसार ऊँचाई)	22.9

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की विद्यमानता की रेंज दी गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों और देशों में अलग-अलग है।

(ख) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति लागू करता है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित देश भर में बौनेपन सहित कुपोषण को दूर करने के लिए अंतक्षेप शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए गए हैं, ताकि गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल प्रदान की जा सके, जिसमें चिकित्सा संबंधी जटिलताएं भी शामिल हैं, जिसमें बच्चों को समय पर, पर्याप्त और उचित आहार देने के मामले में माताओं और देखभाल करने वालों के कौशल में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम** लागू किया गया है, जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना और उसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं पर परामर्श देना शामिल है।
- **स्तनपान प्रबंधन केंद्र:** स्तनपान प्रबंधन इकाइयां (एलएमयू) माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने और मां के अपने स्तनपान कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए सुव्यवस्थित सुविधा केंद्र हैं और व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) नवजात गहन देखभाल इकाइयों और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले और कम वजन वाले बच्चों को खिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** कार्यनीति को मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह अंतक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5 -9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए लागू किया गया है।
- **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक ही दिन में दो बार (फरवरी और अगस्त) एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
- **नवजात और छोटे बच्चों की सामुदायिक आधारित देखभाल** गृह आधारित नवजात देखभाल (एचबीएनसी) और गृह आधारित छोटे बच्चों की देखभाल (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जाती है, बच्चों

के बीच पोषण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने सहित बाल पालन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए आशा द्वारा संरचित गृह दौरे किए जाते हैं।

- ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और बचपन में दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए **स्टॉप डायरिया** पहल को कार्यान्वित किया जाता है।
- **माँ और बाल सुरक्षा कार्ड** का उपयोग बीमार बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आयु के अनुसार विकास संबंधी बाधाओं और विकासात्मक देरी की पहचान के लिए भी किया जाता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, सीएचओ और आशा के रूप में **क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता** कुपोषण, इसके प्रबंधन और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए अंतक्षेपों को समर्थन और मजबूत करने के लिए सहायक पर्यवेक्षण कार्यक्षेत्र दौरों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य समीक्षा मिशन के साथ-साथ **राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर समीक्षा** की जाती है।
- **मिशन पोषण 2.0** मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि कुपोषण, बौनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।
- 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण मानदंडों के अनुसार **पूरक पोषण** प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित होता है जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013,** जो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- **शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत पोषण मानदंडों के अनुसार सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (प्री-स्कूल) से कक्षा आठ तक के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है।
